न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 82/2018
तारीख दायरः 15.01.2018

उनवान

1. शिमला कंवर पत्नि लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ़।

––प्रार्थीया

बनाम

1. चमना पिता देवा जाति मेघवाल निवासी थलखुर्द तहसील माण्डलगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री अनील पारीक (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री सत्यनारायण जीनगर (अधिवक्ता अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांकः 07.09.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम थलखुर्द, पटवार हल्का थलकला तहसील माण्डलगढ़ की आराजी नम्बर 390/72 रकबा 10 बीघा भूमि में संज बेल ट्रेक्टर आदी लाने ले जाने का एक कदमीना रास्ता करीब 12 बाई 12 फीट चौड़ा रास्ता चला आ रहा है। उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में अंकित नही है। यह है कि प्रार्थीगण की आराजियात में पहुँचने का एक मात्र रास्ता ग्राम थलखुर्द की आराजी नम्बर 402/72 की उत्तरी मेर के सहारे सहारे होते हुए प्रार्थी की खातेदारी 390/72 में पहुँचता है। तथा प्राचीन समय से प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारान इसी रास्ते से आ जा रहे है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की आराजियात में पहुँचने का अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नही हैं। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण पीढ़ी दर पीढ़ी से करते आ रहे है। विपक्षीगण ने उंपर अंकित रास्ते के उपयोग उपभोग में कभी भी बाधा उत्पन्न नही की किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में अंकित नही होने के कारण विपक्षीगण आये दिन झगड़ा फिसाद कर रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने लग गये है। तथा विपक्षीगण ने दिनांक 20.07.2018 को उपर अंकित रास्ते के उपयोग उपभोग करने से बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीगण अपने खाते की आराजियात पर आने जाने सजबेल आदी लाने ले जाने से महरूम हो गये है। तथा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त रास्ता बन्द हो जाने के कारण प्रार्थीगण को असहनीय क्षति हो रही है। न्याय की दृष्टि से उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक हो गया है। वरना प्रार्थीगण को असहनीय क्षति होगी तथा उक्त प्रार्थीगण अपने खाते की भूमि में काश्त करने से महरूम रह जायेगें। प्रार्थीगण उपरोक्त अंकित रास्ते की डी.एल.सी. रेट जमा कराने को तैयार है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण खाते की नकले व नक्शा प्रार्थनापत्र के साथ पैश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में अंकित किया जावें। प्रार्थीगण डी.एल.सी. रेट जमा कराने को तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

दिनांक 12.12.2019 को विपक्षी संख्या 1 का बाद तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1 की [illegible] अधिवक्ता सत्यनारायण जीनगर ने अधिकार पत्र पेश किया जिसे शामिल [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.22 15:18:23 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 26.12.[illegible] [illegible] ख्या 1 चमना की [illegible] जवाब प्रार्थनापत्र पैश किया गया। यह है कि ग्राम थलखुर्द में [illegible] थत आराजी नम्बर 3[illegible]2 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित होना स्वीकार है। यह है कि विपक्षी अतिक्रमी नही होकर विपक्षी के ग्राम थलखुर्द पटवार हल्का थलकला की आराजी नम्बर 60/1, 61/1, 402/72, 441/72 किता 4 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित होकर विपक्षी ही उक्त आराजियात पर फसल काश्त करता चला आ रहा है। यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि की आराजी नम्बर 390/72 रकबा 10

बीघा भूमि में संजबेल, ट्रेक्टर आदी लाने ले जाने का रास्ता विपक्षी की आराजी नम्बर 402/72 की उत्तरी मेर में कोई रास्ता स्थित नही है। मौके पर विपक्षी उक्त आराजी संख्या 402/72 में फसल काश्त बरसो से करता चला आ रहा है। आराजी नम्बर 402/72 से प्रार्थीया कभी अपने आराजियात नम्बर 390/72 रकबा 10 बीघा भूमि में कभी भी नही आती जाती रही है। एव ना ही मौके पर किसी प्रकार का रास्ता कायम है। प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र में गलत तथ्य अंकित कर विपक्षी की आराजियात में जंबरन रास्ता निकालने पर आमादा है मौके पर विपक्षी की आराजियात संख्या 402/72 में रास्ता राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर स्थित नही है। प्रार्थीया विपक्षी से जानबूझकर झगड़ा फिसाद कर व धनबल व भुजबल के आधार पर जबरन विपक्षी की आराजी नम्बर 402/72 की उत्तरी मेर से जबरन रास्ता निकालने पर आमादा हो रही है। मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नही होने से प्रार्थीया अनुतोष पाने की अधिकारीणी नही है। यह है कि ग्राम थलखुर्द से रास्ता थलकला जाने वाले रास्ते डम्पर रोड़ निकल रहा है। से होते हुए उगमा कहार की खातेदारी आराजी नम्बर 73, 73/1 के उत्तर से दक्षिण दिशा की आराजियात से निकलकर प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 390/72 रकबा 10 बीघा भूमि में बरसों से आती जाती रही है उपयोग उपभोग करजी रही है। अपने संजबेल ट्रेक्टर लाती ले जाती रही है। विपक्षी की आराजियात के उपर उगमा कहार की आराजियात स्थित है। जो ग्राम थलखुर्द से रास्ता थलकला निकलता है। इसी रास्ते के पास में उगमा कहार की आराजियात के उत्तर से दक्षिण दिशा से प्रार्थीया प्रवेश कर अपनी आराजियात संख्या 390/72 में आती जाती रही है। विपक्षी की आराजियात में कोई रास्ता नही निकल रहा है। एवं प्रार्थीया जानबूझकर विपक्षी को तंग एवं परेशान की नियत से व विपक्षी की आराजियात के टुकड़े टुकड़े कर जमीन हथियाने की गरज से विपक्षी को धमकीया दी कि तुम्हारी आराजियात पर कब्जा करके रहुँगी। मौके पर एवं राजस्व रेकॉर्ड में कोई रास्ता विपक्षी की खातेदारी में नही है। प्रार्थीया के पास अपनी आराजियात में जाने हेतु विकल्प उगमा कहार के खेत के उत्तर से दक्षिण दिशा की आराजी पर होकर अपनी आराजियात पर पहुॅच रही है। ऐसी दशा में प्रार्थीया विपक्षी की आराजियात से कोई रास्ता पाने की अधिकारीणी नही है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

दिनांक 30.01.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2020/114 दिनांक 20.01.2020 से रिपोर्ट प्रेषित की गई। यह है कि प्रार्थी की आराजी भूमि पर पहुॅचने के लिए मौके पर व राजस्व रेकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नही हैं। प्रार्थी की आराजी पर पहुॅचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। यह है कि प्रार्थीया उक्त आराजी में पहुॅचने हेतु ग्राम थलखुर्द पटवार हल्का थलकलां की बिलानाम आराजी नम्बर 492/72 में बनी डामरीकृत सड़क से होकर आराजी नम्बर 402/72 की उत्तरी मेर पर रास्ता चाहती है जो कि प्रतिवादी चमना पिता देवा मेघवाल निवासी थलखुर्द के नाम खातेदारी हक में रेकॉर्ड दर्ज है। यह है कि प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम है। प्रार्थीया की खातेदारी आराजी संख्या 390/72 में पहुंचने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। यह है कि प्रतिवादी चमना पिता देवा मेघवाल अपनी आराजी नम्बर 402/72 में से रास्ता देने में सहमत नही है। प्रतिवादी के अनुसार मौके पर आराजी नंम्बर 73, 492/72 में निकल रही डामरीकृत सड़क के मध्य व प्रार्थीया की आराजी के मध्य आराजी नम्बर 73 का भाग आने से अपनी आराजी में से रास्ता नही देकर आराजी संख्या 73 में रास्ता देना उचित बताया है। यह है कि प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता 2 गठ्ठा चौड़ाई से दिए जाने पर प्रतिवादी की आराजी नम्बर 402/72 का रकबा 02 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में आती है। यह है कि ग्राम थलखुर्द की डी.एल.सी. दर 71082 रूपये प्रति बीघा बनती है। दुगुनी दर 142164 रूपये से 02 बिस्वा भूमि की कीमत 14217 रूपये बनती है। जो राजकोष में जमा करवाने पर प्रतिवादी की आराजी में नियमानुसार रास्ता दिया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.22 15:18:23 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 07.09.2020 को [illegible] हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। हमने तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा [illegible] मनन व अवलोकन किया। बाद अवलोकन स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि ग्राम थलखुर्द पटवार हल्का थलकलां के आराजी संख्या 390/72 पर पहुॅचने के लिए विपक्षीग[illegible] कि आराजी संख्या 402/72 में से 13 फीट रास्ता चाहा गया है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में सहमति प्रदान की गयी है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए(क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70(1)(II)(a) के अनुसरण में ग्राम थलखुर्द पटवार हल्का थलकलां में प्रार्थी की आराजी संख्या 390/72 पर पहुँचने के लिए विपक्षीगण कि आराजी संख्या 402/72 में से 02 बिस्वा भुमि (13 फीट चौड़ाई में) रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 71082 रूपये प्रति बीघा से 142164 रूपये बनती है। दुगुनी दर 14217 रूपये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किए जाने पर एवं अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 07.09.2020 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.22 15:18:23 IST
Reason: SelfAttested